रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271609
CG-DL-E-07042026-271609

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948
No. 239] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

फा.सं. ए.60011/34/2016/एचआरपीसी.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एतद द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो इस प्रकार हैं:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:**

1.1 इन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) (द्वितीय) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा ।

1.2 ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2020 (जिन्हें आगे 'उक्त विनियम' कहा जाएगा) में,

विनियम 2 में, खंड (सी) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(सी) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से है, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती एवं पदोन्नति) (द्वितीय) (संशोधन) विनियम, 2026 के विनियम 5 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट है।";

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4 में,-

(ए) उप-विनियम 4.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4.1 प्राधिकरण में पदों को निम्नलिखित समूहों या स्तरों के अनुसार कार्यपालक और गैर-कार्यपालक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) कार्यपालक:

स्तर या श्रेणी	पदनाम	वेतनमान 01.01.2017 से लागू (₹)	समूह
ई-1	कनिष्ठ कार्यपालक और समकक्ष	40000 – 3% - 140000	"बी"
ई-2	सहायक प्रबंधक और समकक्ष	50000 – 3% - 160000	
ई-3	प्रबंधक और समकक्ष	60000 – 3% -180000	"ए"
ई-4	वरिष्ठ प्रबंधक और समकक्ष	70000 – 3% - 200000	
ई-5	सहायक महाप्रबंधक और समकक्ष	80000 – 3% - 220000	
ई-6	उप महाप्रबंधक और समकक्ष	90000 – 3% - 240000	
ई-7	संयुक्त महाप्रबंधक और समकक्ष	100000 – 3% - 260000	
ई-8	महाप्रबंधक और समकक्ष	120000 – 3% - 280000	
ई-9	कार्यपालक निदेशक और समकक्ष	150000 – 3% - 300000	

(ii) गैर-कार्यपालक:

स्तर या श्रेणी	पदनाम	वेतनमान 01.01.2017 से लागू (₹)	समूह
एनई-1	कनिष्ठ परिचर और समकक्ष	25000 - 3% - 74500	"डी"
एनई -2	परिचर और समकक्ष	27000 -3% - 80500	
एनई -3	वरिष्ठ परिचर और समकक्ष	28000 - 3% - 85000	
एनई -4	कनिष्ठ सहायक और समकक्ष	31000 - 3% - 92000	"सी"
एनई -5	सहायक और समकक्ष	33000 - 3% - 99000	
एनई -6	वरिष्ठ सहायक और समकक्ष	36000 - 3% - 110000	
एनई -7	पर्यवेक्षक और समकक्ष	37000 - 3% - 115000	
एनई -8	अधीक्षक और समकक्ष	39000 - 3% - 120000	
एनई -9	वरिष्ठ अधीक्षक और समकक्ष	39500 - 3% - 138000	"बी" ";
एनई-10	वरिष्ठ अधीक्षक (चयन श्रेणी) और समकक्ष।	40000 - 3% - 139000	

(बी) उप-विनियम 4.2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4.2 केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित वेतनमान लागू होंगे।"

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. **नियुक्ति प्राधिकारी:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न पदों के नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

नियुक्ति प्राधिकारी

क्रम सं. (1)	पदनाम (2)	नियुक्ति प्राधिकारी (3)
1	सभी कार्मिक (ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी')	अध्यक्ष
2	सहायक महाप्रबंधक स्तर के सभी कार्यपालक, जिनमें ग्रुप 'बी' और उससे निचले स्तर के कार्यपालक शामिल हैं।	सदस्य (मानव संसाधन)
3	निगमित मुख्यालय में कार्यरत ग्रुप 'बी' (गैर-कार्यपालक), 'सी' और 'डी' के सभी कार्मिक तथा अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त कार्मिक।	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)
4	क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हवाई अड्डों या स्टेशनों या इकाइयों अथवा हवाई अड्डों या स्टेशनों या इकाईयों के प्रभारियों; अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के ग्रुप 'बी' (गैर-कार्यपालक), 'सी' और 'डी' श्रेणी के कर्मचारी जो बिंदु संख्या 3 में उल्लिखित नहीं है।	क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक

5. उक्त विनियमों में, विनियम 18 के उप-विनियम 18.3 में, खंड (x) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(x) आवेदक की पात्रता की गणना वर्तमान वर्ष की 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार की जाएगी।"

6. उक्त विनियमों में, विनियम 25 में-

(ए) खंड (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ii) वर्तमान वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि के लिए रिक्तियों पर विचार किया जाएगा।

(iii) पात्रता हेतु निर्णायक तिथि वर्तमान वर्ष की 31 दिसंबर होगी। पिछले वर्ष तक की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा।

(iv) प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक की प्रत्याशित रिक्तियों के सापेक्ष, पदोन्नति आदेश विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों और अपेक्षित सेवा के पूरा होने पर जारी किए जाएंगे।";

(बी) खंड (vi) के बाद, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उपर्युक्त प्रावधान सभी संवर्गों और सभी स्तरों पर सभी विभागीय पदोन्नति समितियों में लागू किए जाते हैं।"

7. उक्त विनियमों में, अनुलग्नक- IV में-

(ए) अनुच्छेद 6 में, 'पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि' शीर्षक के अंतर्गत, खंड (iii), (iv), (v) और (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(iii) वर्तमान वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए रिक्तियों पर विचार किया जाएगा।

(iv) पात्रता हेतु निर्णायक तिथि वर्तमान वर्ष की 31 दिसंबर होगी। पिछले वर्ष तक की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा।

(v) प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक की प्रत्याशित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति आदेश, विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों और अपेक्षित सेवा के पूरा होने पर जारी किए जाएंगे।

(viii) खंड (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत उपर्युक्त प्रावधान सभी संवर्गों और सभी स्तरों पर सभी विभागीय पदोन्नति समितियों में लागू होंगे।"

(बी) अनुच्छेद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8 **विभागीय पदोन्नति समिति में प्रतीक्षा-सूची पैनल:**

(i) कट-ऑफ तिथि (31 दिसंबर) तक चिन्हित रिक्तियों की संख्या से 25% अधिक की प्रतीक्षा-सूची या चयन पैनल तैयार करना।

(ii) प्रतीक्षा-सूची या चयन पैनल की वैधता, विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की 31 दिसंबर तक रहेगी।

(iii) विस्तारित पैनल का उपयोग केवल कट-ऑफ तिथि, यानी उस वर्ष की 31 दिसंबर तक चिन्हित रिक्तियों की सीमा तक ही किया जाएगा।

(iv) चयन पैनल में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जो कट-ऑफ तिथि (31 दिसंबर) को पदोन्नति के पात्र हैं।

(v) प्रतीक्षा सूची पैनल का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा:

(ए) जब पदोन्नति सूची में शामिल व्यक्ति पहले से ही बाह्य-संवर्ग आधार पर विमानपत्तन निदेशक के रूप में या अन्य किसी बाह्य-संवर्ग नियुक्ति पर तैनात हों, और उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्त रहना अपेक्षित हो;

(बी) पदोन्नति सूची में शामिल व्यक्तियों ने पदोन्नति लेने से मना कर दिया हो और उन्हें विवर्जित (डिबार) कर दिया गया हो; और

(सी) पदोन्नति सूची में शामिल व्यक्ति उसी वर्ष की 31 दिसंबर से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हों;

(डी) प्रतीक्षा सूची पैनल का उपयोग उन रिक्तियों को भरने के लिए नहीं किया जाएगा जो विभागीय पदोन्नति समिति के बाद या पैनल की अवधि के दौरान उत्पन्न हुई हों, और जिनके लिए विचार क्षेत्र में बदलाव अपेक्षित हो।

विपिन कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./09/2026-27]

नोट: (1) मूल विनियम दिनांक 16 जनवरी, 2020 के अधिसूचना संख्या ए.60011/67/2011-पीपी (बिंदु-1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

(2) संशोधित विनियम दिनांक 11 फरवरी, 2026 के अधिसूचना संख्या ए.60011/34/2016/एचआरपीसी के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के तहत प्रकाशित किया गया था।

व्याख्यात्मक ज्ञापन: (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्राधिकरण में नियमित आधार पर पदों पर कार्यरत पदधारियों को, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(2) इन विनियमों के लागू होने से ठीक पहले, ऐसे पदधारियों द्वारा अपने-अपने ग्रेड में की गई निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण आदि निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

F.No. A.60011/34/2016/HRPC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Regulations, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement:**

1.1. These may be called the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) (Second) (Amendment) Regulations, 2026.

1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the said regulations),

in regulation 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) "Appointing Authority" in relation to a post means the Authority as specified in column (3) of Regulation 5 of Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) (Second) (Amendment) Regulations, 2026".;

3. In the said regulations, in regulation 4,-

(A) for sub-regulation 4.1, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"4.1 The posts in Authority shall be categorised as Executive and Non-Executive as per the following groups or levels:

(i) Executives:

Level or Grade	Designation	Pay Scales w.e.f. 01.01.2017 (₹)	Group
E-1	Junior Executive and equivalent	40000 – 3% - 140000	"B"
E-2	Assistant Manager and equivalent	50000 – 3% - 160000	
E-3	Manager and equivalent	60000 – 3% -180000	"A"
E-4	Senior Manager and equivalent	70000 – 3% - 200000	
E-5	Assistant General Manager and equivalent	80000 – 3% - 220000	
E-6	Deputy General Manager and equivalent	90000 – 3% - 240000	
E-7	Joint General Manager and equivalent	100000 – 3% - 260000	
E-8	General Manager and equivalent	120000 – 3% - 280000	
E-9	Executive Director and equivalent	150000 – 3% - 300000	

(ii) Non-Executives:

Level or Grade	Designation	Pay Scales w.e.f. 01.01.2017 (₹)	Group
NE-1	Junior Attendant and equivalent	25000 - 3% - 74500	"D"
NE -2	Attendant and equivalent	27000 -3% - 80500	
NE -3	Senior Attendant and equivalent	28000 - 3% - 85000	
NE -4	Junior Assistant and equivalent	31000 - 3% - 92000	"C"
NE -5	Assistant and equivalent	33000 - 3% - 99000	
NE -6	Senior Assistant and equivalent	36000 - 3% - 110000	
NE -7	Supervisor and equivalent	37000 - 3% - 115000	
NE -8	Superintendent and equivalent	39000 - 3% - 120000	
NE -9	Senior Superintendent and equivalent	39500 - 3% - 138000	"B" ";
NE-10	Senior Superintendent (Selection Grade) and equivalent.	40000 - 3% - 139000	

(B) for sub-regulation 4.2, the following shall be substituted, namely:-

"4.2 The pay scales as amended from time to time with the approval of Central Government shall be applicable.".

4. In the said regulations, for regulation 5, the following Regulation shall be substituted, namely:-

"5. **Appointing Authorities:** The Appointing Authorities of various posts of Airports Authority of India shall be as under, namely:-

Appointing Authority

Sl. No. (1)	Name of the Post (2)	Appointing Authority (3)
1	All employees (Group 'A', 'B', 'C' and 'D')	Chairperson
2	All executives of the level of Assistant General Manager including Group 'B' and below.	Member (Human Resource)
3	All Group 'B' (Non-Executive), 'C' and 'D' Employees at Corporate Headquarters and those appointed on all India basis.	Executive Director (Human Resource)

4	Employees of Group 'B' (Non-Executive), 'C' and 'D' categories other than mentioned in 3 above at Regional Offices and Airports or stations or units or incharge of airport or station or unit; International Airports	Regional Executive Director at Regional Offices".

5. In the said regulations, in regulation 18, in sub-regulation 18.3, for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-

"(x) The eligibility of applicant shall be counted as on the 31st December of the current year."

6. In the said regulations, in regulation 25,-

(A) for clauses (ii), (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) The vacancies for the period from the 1st January to the 31st December of the current year shall be considered.

(iii) The crucial date of eligibility shall be the 31st December of the current year. Performance Appraisal Reports upto previous year shall be considered.

(iv) The promotion orders against the anticipated vacancies upto December every year shall be issued on completion of Departmental Promotion Committee proceedings and requisite service." ;

(B) After clause (vi), for the entry, the following shall be substituted, namely:-

"The aforesaid provisions are implemented in all Departmental Promotion Committees across all cadres and levels.".

7. In the said regulations, in Annexure - IV.-

(A) in paragraph 6, under the heading 'crucial date for determining eligibility', for clauses (iii), (iv), (v) and (viii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iii) The vacancies for the period from the 1st January to the 31st December of the current year shall be considered.

(iv) The crucial date of eligibility shall be the 31st December of the current year. Performance Appraisal Reports upto previous year shall be considered.

(v) The promotion orders against the anticipated vacancies upto December every year shall be issued on completion of Departmental Promotion Committee proceedings and requisite service.

(viii)The aforesaid provisions under clause (iii), (iv) and (v) shall be applicable in all Departmental Promotion Committees across all cadres and levels."

(B) for paragraph 8, following paragraph shall be substituted, namely:-

"8 **Waitlist Panel in Departmental Promotion Committee:**

(i) to prepare wait-list or select panel by 25% beyond the number of vacancies so identified as on the cut-off date (31st December).

(ii) the wait-list or select panel shall have the validity up to 31st December of the Departmental Promotion Committee year.

(iii) the extended panel be utilized only to the extent of vacancies identified up-to the cut-off date i.e. 31st December of the year.

(iv) the select panel shall contain only those names who are eligible for promotion as on cut-off date (31st December).

(v) the waitlist panel shall be operated under following circumstances:

(a) when the persons included in the promotion list are already posted as Airport Directors on Ex-cadre basis or to any other Ex-cadre appointment and are required to continue to be deputed on ex-cadre post for more than one year;

(b) the persons in the promotion list have refused promotion and are debarred; and

(c) the persons included in the promotion list are retiring before the 31st December of the same year;

(d) the wait list panel shall not be used for filling up the vacancies which have arisen subsequently to the Departmental Promotion Committee or during currency of panel, which requires change in the zone of consideration".

VIPIN KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./09/2026-27]

Note : (1) The principal Regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number A.60011/67/2011-PP (Pt-1) dated the 16th January, 2020.

(2) The amendment regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number A.60011/34/2016/HRPC dated the 11th February, 2026.

Explanatory Memorandum: (1) The incumbents holding posts in the Authority on a regular basis immediately before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these regulations.

(2) The continuous service rendered by such incumbents in the respective grades immediately before the commencement of these regulations shall be taken into account for the purpose of determining the period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation, etc.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.04.07 16:10:03 +05'30'